

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

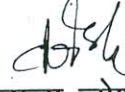
क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-135/2008)/अलेसे -III/5230-32 दिनांक :- 22-8-2014

आदेश

श्री मनीष गोरा, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन) को उनके आवेदन एवं उपकोषाधिकारी, सायला (जालोर) एवं कोषाधिकारी, जालोर के पत्रांक 763 दिनांक 13.08.2014 द्वारा की गई अभिशंषा के अनुसरण में निम्नांकित तालिका अनुसार कुल 34 दिवस का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम- 96(1) एवं वित्त (नियम) विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ. 1(2)FD/Rules/2006Pt -1 जयपुर, दिनांक 07.08.2014 के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है।

क्र. सं.	अवैतनिक अवकाश अवधि		अवकाश का कारण
	दिनांक	कुल अवधि	
1.	27.08.2012 से 14.09.2012 तक	19 दिवस	संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा
2.	29.08.2013 से 12.09.2013 तक	15 दिवस	स्वयं का स्वास्थ्य खराब
	Total	34 दिवस	

भवदीय,


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक एफ.4(ई)/(एम-135/2008)/अलेसे -III/5230-32 दिनांक :- 22-8-2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. कोषाधिकारी, जालोर को उनके पत्रांक 763 दिनांक 13.08.2014 के क्रम में प्रेषित है।
2. उपकोषाधिकारी, सायला, जिला-जालोर को श्री गोरा, क0 लेखाकार के सेवा अभिलेख में लाल स्याही से आवश्यक इन्द्राज करने हेतु प्रेषित है।
3. श्री मनीष गोरा, कनिष्ठ लेखाकार कोषाधिकारी, सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

4- A.C.P.-32 निदेशालय, जयपुर शाखा को
NET पर उपलब्ध है।


(डॉ. अरविन्द कुमार मिश्रा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)